



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक :- एफ-7(193)रालसा/जे.एस./संस्थापन-एसीआर/2018/1114

दिनांक:- 25/7/18

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-7 (193) रालसा/जे.एस./संस्थापन-एसीआर/2018 /377 दिनांक 07.07.2018 की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि स्थाई लोक अदालत में कार्यरत कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग-II में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत प्रविष्टियों करेंगे तथा उसके उपरान्त भाग-III व IV में बतौर समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी की प्रविष्टियाँ सदस्य सचिव, रालसा द्वारा की जायेगी।

अन्य निर्देश उपरोक्त आदेश दिनांक 07.07.18 के अनुसार यथावत् रहेंगे।

Sd/-
सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:- 19158-19434

दिनांक:- 25/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, समस्त राजस्थान।
5. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर/जयपुर।
6. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
8. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
9. संयुक्त सचिव, उप सचिव-प्रथम, उप सचिव-द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), रालसा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. उप सचिव प्रशासन (गैर न्यायिक)/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/प्रशासनिक अधिकारी।
12. व्यक्तिगत पत्रावली।
13. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

[Signature]
संयुक्त सचिव